

**भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद
नई दिल्ली**

परिपत्र

संख्या F.Admn/47/PwDs

दिनांक 8 जनवरी, 2020

विषय: भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) में समूह -ख और समूह -ग में ऐसे पदों का चिन्हीकरण जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 में उल्लिखित विकलांगों की नई श्रेणियों से भरे जाने के लिए उपयुक्त है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 12.12.2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 34-16/2018-डीडी के अनुपालन में आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 में उल्लिखित विकलांगों की नई श्रेणियों से आईसीसीआर में समूह "ख" और समूह "ग" संवर्ग में भरे जाने वाले पदों के चिन्हीकरण के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की एक बैठक 15 अक्टूबर, 2019 को आयोजित की गई थी।

2. समिति ने आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के अंतर्गत निर्धारित दिव्यांगजन की श्रेणियों के लिए समूह "ख" और समूह "ग" ग्रेड में निम्नलिखित पदों की अनुशंसा की:-

पद का नाम	समूह	शारीरिक अपेक्षाएं	निम्नलिखित के लिए उपयुक्त चिन्हित	टिप्पणियां
एमटीएस/एल डीसी	ग	एस, एस टी, डब्ल्यू, बीएन, एल, पीपी, एसई, सी, आरडब्ल्यू	क. कुष्ठ रोग निवारण, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, बौनापन और एसिड हमले के शिकार और मांसपेशियों दुर्विकास सहित लोकोमीटर विकलांगता (ओए, ओएल, ओएएल, बीएल, बीए) ख. अंधा और कम दृष्टि ग. कम सुनना और बहरा घ. स्वलीनता, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट अभिग्रहण विकलांगता और मानसिक रुग्णता ड. बधिर-अंधापन को छोड़कर ऊपर (क) से (घ) तक बहु-विकलांगता	जहां भी आवश्यक हो, अभ्यर्थी पर एड्स और उपकरणों सहित विचार किया जाना चाहिए।
कनिष्ठ आशुलिपिक	ग	एस, एस टी, डब्ल्यू, एम एफ, एल, पीपी, एसई, सी, एच	क. कुष्ठ रोग निवारण, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, बौनापन और एसिड हमले के शिकार और मांसपेशियों दुर्विकास सहित लोकोमीटर विकलांगता (ओए, ओएल, ओएएल, बीएल, बीए) ख. अंधा और कम दृष्टि ग. कम सुनना और बहरा घ. स्वलीनता, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट अभिग्रहण विकलांगता	पदाधिकारी को निर्णय लेने और टाइपिंग के माध्यम से पुनः प्रस्तुत करने की भी अपेक्षा है। दोनों तरफ के प्रभावी सम्प्रेषण के लिए श्रवण के उचित स्तर की आवश्यकता है। जहां भी आवश्यक हो, पदाधिकारी पर एड्स और उपकरणों के साथ विचार किया जाना

			और मानसिक रुग्णता ड. बधिर-अंधापन को छोड़कर ऊपर (क) से (घ) तक बहु-विकलांगता	चाहिए।
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	ख	एस, एस टी, डब्ल्यू, आर डब्ल्यू, एम एफ ,एल, पीपी, एसई, सी, एच	क. कुष्ठ रोग निवारण, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, बौनापन और एसिड हमले के शिकार और मांसपेशियों दुर्विकास सहित लोकोमीटर विकलांगता (ओए, ओएल, ओएएल, बीएल, बीए) ख. अंधा और कम दृष्टि ग. कम सुनना और बहरा घ. स्वलीनता, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट अभिग्रहण विकलांगता और मानसिक रुग्णता ड. बधिर-अंधापन को छोड़कर ऊपर (क) से (घ) तक बहु-विकलांगता	पदाधिकारी को निर्णय लेने और टाइपिंग के माध्यम से पुनः प्रस्तुत करने की भी अपेक्षा है। दोनों तरफ के प्रभावी सम्प्रेषण के लिए श्रवण के उचित स्तर की आवश्यकता है। जहां भी आवश्यक हो, पदाधिकारी पर एड्स और उपकरणों के साथ विचार किया जाना चाहिए।
सहायक	ख	एस, एस टी, डब्ल्यू, आर डब्ल्यू एसई, सी, एच	क. कुष्ठ रोग निवारण, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, बौनापन और एसिड हमले के शिकार और मांसपेशियों दुर्विकास सहित लोकोमीटर विकलांगता (ओए, ओएल, ओएएल, बीएल, बीए) ख. अंधा और कम दृष्टि ग. कम सुनना और बहरा घ. विशिष्ट अभिग्रहण विकलांगता और मानसिक रुग्णता ड. बधिर-अंधापन को छोड़कर ऊपर (क) से (घ) तक बहु-विकलांगता	इस पद में मस्तिष्क का अनुप्रयोग शामिल है और कुछ परिस्थितियों में निर्णय लेने की आवश्यकत है। जहां भी आवश्यक हो, पदाधिकारी पर एड्स और उपकरणों के साथ विचार किया जाना चाहिए।

नोट: \$-बैठना, एस टी-खड़े, डब्ल्यू-वॉकिंग, बीएन-झुकने, एल-लिफ्टिंग, पीपी-पुलिंग और धक्का, एसई-देखन, सी-संवाद, एमएफ-उँगलियों को चलाना, एच-श्रवण, आरडब्ल्यू-पढ़ना और लिखना, ओ ए-एक हाथ, ओ एल-एक पैर, ओ ए एल-एक हाथ एक पैर, बी एल-दोनों पैर, बी ए-दोनों हाथ

4 इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(विनय वोहरा)
वरिष्ठ कार्यक्रम निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि :-

निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, निशक्तजन सशक्तिकरण विभाग
अवर सचिव (कैडर), विदेश मंत्रालय

निम्नलिखित को जानकारी के लिए प्रतिलिपि :-

अध्यक्ष, आईसीसीआर का कार्यालय

डीजीओ (प्रशासन) का कार्यालय

डीडीजी (संस्कृति) का कार्यालय

डीडीजी (शिक्षा) का कार्यालय

सभी अनुभागीय प्रमुख/क्षेत्रीय प्रमुख

सलाहकार (ईजी और आईटी)- इसे आईसीसीआर की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

(विनय वोहरा)